न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 1665 सन् 2026,

1. अनुज कुमार पुत्र वीरपाल,

2. धन्नी उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दल सिंह, निवासीगण ग्राम नंगला जीत उर्फ जिताका, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–74 सन् 2026,

धाराः– 191(2), 191(3), 115(2), 131 व 109(1) बी.एन.एस.

थानाः–औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर।

–::निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। वादी व कथित चुटैल पुत्र है। प्राथमिकी के अनुसार चुटैलों को कोई गम्भीर चोट नहीं है बल्कि साधारण चोटें हैं। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रतन सिंह द्वारा थाना औरंगाबाद पर प्राथमिकी इस आशय़ की दर्ज कराई कि उसके लड़के राजकुमार व गब्बर उर्फ बन्टी सिंह ट्रक लेकर औरंगाबाद की ओर आ रहे थे तो ग्राम जिताका के लोकेश, अनुज, पिंकू, धन्नी, बन्टी तथा ग्राम खनौदा के प्रमोद धोबी ने सी.वी. कान्वेन्ट स्कूल के सामने जान से मारने की नीयत से उसके पुत्रों पर हमला किया जिस कारण उन्हें गम्भीर चोटें आई हैं। इन लोगों के साथ तीन चार लोगों ने भी लाठी डंडों से एकराय होकर मारीपट की जिस कारण उसके दोनों बेटे आई.सी.यू. में गम्भीर हालत में भर्ती हैं। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सह–अभियुक्तगण पिंकू कुमार, लोकेश, हरेन्द्र कुमार व सुबोध का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फौजदारी विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस संख्या 4747 सन् 2026 सुबोध बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश 25.05.2026 के आदेश की प्रति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सह–अभियुक्तगण पिंकू कुमार, लोकेश, हरेन्द्र कुमार व सुबोध का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी व चोटहिलों के बीच समझौता होने के आधार पर सह–अभियुक्त सुबोध का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की भूमिका भी प्रस्तुत प्रकरण में सह–अभियुत सुबोध के समानान्तर है।

07. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

08. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर प्रकरण के अन्य सह– अभियुक्तगण तथा 3–4 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय मशबरा होकर लाठी डडो से सुसज्जित होकर वादी के पुत्र राजकुमार व गब्बर उर्फ बन्टी के साथ जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट करते हुए गम्भीर चोट पहुचाये जाने का आरोप अभिकथित है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फौजदारी विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस संख्या 4747 सन् 2026 सुबोध बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश 25.05.2026 के द्वारा सह–अभियुक्त सुबोध का अग्रिम जमानत प्रार्थनापपत्र स्वीकार किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण की भूमिका भी प्रस्तुत सह–अभियुत सुबोध के समानान्तर होना कहा गया है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।
03. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
04. आवेदकगण/अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे,
05. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
06. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदकगण आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में जमानतनामे निष्पादित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा पृथक–पृथक रूप से 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.